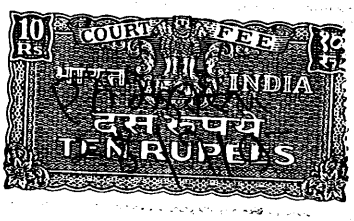

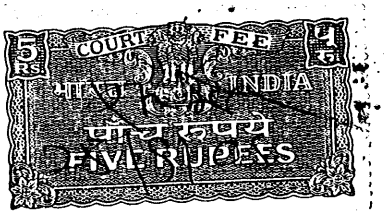

10 Rs COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

89

-1

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र०   ।05 निगरानी 1640-II/05

R 1640-II/05

श्री .... द्वारा आज दि० 28.9.05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28 SEP 2005

१- महिला पैरताई पुत्री राजाराम पत्नी बृजभान यादव

(2) महिला गयाबाई पत्नी राजाराम यादव ...

२- राजाराम पुत्र रामसहाय यादव

३- मोहनलाल पुत्र राजाराम यादव

निवासीगण- गनैशपुर तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ म०प्र०

---आवेदकगण

बनाम

१- कुन्नू पुत्र सलू यादव

२- हरिराम पुत्र सलू यादव

३- रामपाल पुत्र सलू यादव

४- बैजनाथ पुत्र सलू यादव

५- रामकुमार पुत्र सलू यादव

निवासीगण-ग्राम गनैशपुरा तहसील बल्देवगढ़

जिला टीकमगढ़ म०प्र०

---अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक ८-६-२००५ जो न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर जो निगरानी प्रकरण क्रमांक ३५०-अ।१९ वर्ष २००१-०२ में पारित किया जो न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक ४४।निग०।२०००-०१ दिनांक २८-१-२००२ से उत्पन्न हुआ है जो तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक २२६-अ।१९।वर्ष ९५-९६ में पारित आदेश दिनांक १०-५-९६ [illegible] से उत्पन्न हुआ है।

8/14

मूललिपि ... उक्त

माननीय महोदय,

आवेदकगण की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुतहै-

१- यहकिआवेदक क्रमांक १ एवं मृतक भवानीबाई द्वारा दखल रहित अधिनियम १९८४ के अन्तर्गत भूमिखसरे क्रमांक ३५५, १५ रकबा २-४०५ हैक्टर स्थित ग्राम गनेशपुरा को २-१०-८४ सेपहले काबिज होने से पहले व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन दिया जो स्वीकार हुआ। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश अवधि बाह्य होने के बावजूद निरस्त कर दिया गया। जिससे दुखी होकर निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में पेश की गयी एवं अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय में पेश की गयी जो निरस्त कीगयी। जिससे दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारों परप्रस्तुतहै-

आ धा र -

(१) यहकि प्रश्नागत निर्णय में आवेदक क्रमांक २ भवानीबाई का नाम उल्लेख है जिसकी मृत्यु दिनांक २४-६-२००४ को हो गयी थी। और उसके वारिसान को रिकार्ड पर लाने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया किन्तु आदेश को देखने से स्पष्ट है कि वारिसान को रिकार्ड परलाये बगैर आदेश पारितकिया गया इस प्रकार मृतक के खिलाफ पारित आदेश विधि विधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्यहै।

(२) यहकि यह मान्य सिद्धान्त है कि दौरान प्रकरण यदि किसी पक्षकार की मृत्यु होती है और उसकी सूचना न्यायालय को प्राप्त हो जाती है तब उसके वारिसानों को रिकार्ड पर लिये बिना पारित गुण-

... ... कारण बताओ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1640–दो/2005 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6 –01–2017	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित. उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। मैने प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के निगरानी प्र.क्र. 350–अ/19 वर्ष 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम गनेशपुरा तहसील बल्देवगढ़ में स्थित आराजी क्रमांक 355/5 रकवा 2.405 है0 भूमि अभिलेख में शासकीय दर्ज है। जिस पर आवेदक महिला पैराबाई एवं महिला भवानी बाई (मृतक) ने भूमिस्वामी अधिकार पर दिये जाने हेतु दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया तहसीलदार बल्देवगढ द्वारा प्र.कं. 226–अ/19 वर्ष 1995–96 दर्ज कर कार्यवाही उपरांत अपने आदेश दिनांक 10.05.1996 द्वारा उक्त भूमि के भूमिस्वामी अधिकार आवेदिकागण को स्वीकृत किये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्र.कं. 44/निग./2000–01 पर दर्ज कर उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 28.01.2002 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया व भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिकागण महिला पैराबाई एवं महिला भवानी बाई (मृतक) ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्र.कं. 350–अ/19 वर्ष 01–02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 8.6.2005 से निगरानी निरस्त की गई।इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया । 4– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन एवं परीक्षण किया जिसके अनुसार तहसील न्यायालय ने आवेदिकागण का वाद भूमि पर वर्ष 1984 से कब्जा होने एवं भूमिहीन होने बावत न तो किसी प्रकार की जांच की न ही उनके समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई जिससे यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदिकगण का वर्ष 1984 में बाद भूमि पर कब्जा होकर कृषि की जा रही थी इस प्रकार तहसील न्यायालय ने समुचित जांच किये बिना अपात्र व्यक्तियों के पक्ष में व्यवस्थापन किये जाने का आदेश पारित किया था जिसे कलेक्टर टीकमगढ ने अपने आदेश में विस्तृत उल्लेख कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की थी आवेदिकागण कलेक्टर के समक्ष यह प्रमाणित नहीं कर सकी कि उनका कब्जा वर्ष 1984 में था एवं वह भूमिहीन कृषक है उन्हें व्यवस्थापन कराने की पात्रता है कलेक्टर टीकमगढ ने सभी बिन्दुओं की जांच कर अपने आदेश में आवेदिकागण को पात्रता न होने बावत बिन्दुवार निश्कर्ष देकर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर बाद भूमि शासकीय दर्ज करने का वैध आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर आवेदिकागण यह सिद्ध करन्रे में असफल रहे कि कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश में क्या अनियमितता है जिनके कारण उक्त आदेश निरस्त योग्य है इस प्रकार अपर आयुक्त सागर ने कलेक्टर टीकमगढ के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.6.05 विधिवत होने से स्थिर रखा जाता है। सदस्य	